चयन समिति का गठन

विभाग की विभिन्न सेवा नियमावलियों मे यह प्रावधानित है कि '' चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है। सेवा नियमावलियो में चयन समिति के स्वरूप के सम्बन्ध मे अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। उ0प्र0 विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के बाहर के पदो के लिए) नियमावली, 1992 मे प्रावधान है कि किसी सेवा नियमावली मे विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन का कोई अन्य उपबन्ध हो तो भी समूह 'ग' के पदो पर पदोन्नति करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन पूर्वोक्त नियमावली के अनुसार निम्नलिखित ढंग से किया जायेगा :–

1. नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष
2. राजपत्रित अधिकारी – सदस्यगण (जो उस पद के पर्यवेक्षक की हैसियत रखता हो, जिसके लिए चयन किया जा रहा है तथा जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।)

उक्त नियमावली के नियम–4(घ) मे इसी प्रकार चयन समिति गठित किये जाने की व्यवस्था उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग–1988 के अधीन अधीनस्थ आयोग के माध्यम से समूह 'ग' के पदों के पदोन्नति कोटे के लिए है।

2– शासनादेश संख्या:483/क–1/94–1/1/1994 दिनांक 29–03–1994 के अनुसार जहॉ चयन समितियो में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारी के नामांकन का वर्तमान नियमों मे कोई प्रावधान न हो, वहॉ इस विषय मे निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जायेगी :–

(1) जहॉ निर्धारित चयन समिति मे सम्मिलित सदस्यों (अध्यक्ष सहित) मे से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा एक सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित न हो, वहॉ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक तथा अन्य पिछड़े वर्ग के एक अधिकारी को चयन समिति मे अनिवार्य रूप से नामित किया जाय।
(2) उक्त नामांकन चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
(3) यह व्यवस्था सीधी भर्ती व प्रोन्नति दोनो प्रकार के चयनो मे लागू होगी।

3– शासनादेश संख्या: 1194/का–1–2000–13/15/91 दिनांक 19 मई 2001 के प्रस्तर–2(3) मे निर्देशित है कि जहॉ विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन अपेक्षित हो, संगत नियमावली के प्रावधानानुसार चयन समिति का गठन किया जाय व चयन समिति मे जहॉ अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के किसी अधिकारी को चयन समिति के सदस्य के रूप मे शामिल किया जाना आवश्यक हो वहॉ उन्हें समिति मे अवश्य शामिल किया जाय।